

देश की क्रम सं०
और तारीख
9

R.M.A 47/11-12

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Santimay mandal - 871-161 - Raipada


आदेश पर की गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी तारीख के साथ


1/6/18

~~उभय पक्षों की हजेरत नहीं है~~

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष कई तिथियों से न्यायालय में अनुपस्थित है। उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए दिनांक 09.06.17 को नोटिस निर्गत किया गया जिसका मामिला दिनांक 30.08.17 को प्राप्त है। इसके प्रश्चात् भी उभय पक्ष न्यायालय में लगातार अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः अभिरूचि के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित


अपर समाहर्ता,
दुमका।


अपर समाहर्ता,
दुमका।